

v/; k; & 15

jkT; ds uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh  
foRrh; fLFkfr , oamudh i qjpk dk I kjk k

**15.1.0 प्रस्तावना :**

15.1.1 राज्य वित्त आयोग के इस प्रतिवेदन के भाग II (नगरीय स्थानीय निकाय) में 7 अध्याय हैं (v/; k; 9 l s v/; k; 15 rd )। प्रतिवेदन के इस भाग में प्रस्तुत सारांश इन्हीं अध्यायों से संबधित है, जो विशेषतः u-LFk-fudk; ka के बारे में हैं।

**15.2.0 नगरीयकरण एवं राज्य में स्थानीय स्वशासन :**

15.2.1 **bl ifronu ds 9oa v/; k; e** राज्य में **uxjh; dj.k dh ixfr** को उसके विविध स्वरूपों में प्रस्तुत किया गया है। राज्य की गिनती भारत के कम नगरीयकृत प्रदेशों में की जाती है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की **dy tul f; k** में केवल 20.09% **uxjh; tul f; k** है। नगरीयकरण की प्रक्रिया धीमी, अनियोजित एवं गैर-कार्यात्मक रही है। छत्तीसगढ़ एक छोटे कस्बों का राज्य है तथा नगरीय श्रेणी-क्रम शीर्ष पर भारी है। यहाँ की नगरीय जनसंख्या का 63%, 7 ऐसे शहरों में केन्द्रित है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या एक लाख अथवा अधिक है। 20000 से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में कुल नगरीय जनसंख्या का 14.86% भाग रहता है। 1 नवम्बर, 2000 को राज्य का दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीयकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की आशा है। परन्तु वर्तमान में नगरीय अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के संदर्भ में कार्यशील जनसंख्या का ग्रामों से शहरों की ओर जाना अत्यन्त धीमा है, जैसा कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों की धीमी प्रगति से स्पष्ट होता है। आधारभूत नगरीय सेवाओं एवं अधो-संरचना, जैसे- सड़के, पेयजल आपूर्ति, निकासी, साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट निपटान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुविधा में भारी कमियाँ हैं।

(परिच्छेद 9.2.1, 9.2.8, 9.2.14 सारणी क्र. 9.3)

15.2.2 वर्ष 2001 में राज्य में 10 *uxj ikfyd fuxe*, 28 *uxjikfydk ifj"kn* तथा 72 *uxj ipk;r* थी, जिनमें राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का क्रमशः 62.13%, 21.58% एवं 16.29% भाग निवासरत था। राज्य में एक भी महानगर नहीं है। जब नगरीय बसाहटों का आकार एवं उनकी समस्यायें बहुत बड़ी नहीं होती, तब उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से सुलझाया जा सकता है।

( परिच्छेद 9.3.13, सारणी क्र 9.5)

15.2.3 नये राज्य की स्थापना के साथ तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य में स्थानीय निकायों के गठन एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित अधिनियम, उनके नियमों एवं विनियमों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर दिये गये। वर्तमान में राज्य के *u-LFkk-fudk; NRrhl x<+ uxjikfyd fuxe vf/kfu; e ,oa NRrhl x<+uxjikfydk vf/kfu; e* के अध्यक्ष हैं। ये अधिनियम मोटे तौर पर तत्कालीन राज्य मध्यप्रदेश के अधिनियमों की ही प्रतिकृति हैं, जिनमें नये राज्य के निर्माण के बाद समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये गये हैं। *e/; ins'k dh Hkkfr NRrhl x<+ ea Hkh I fo/kku I dkk'sku vf/kfu; e 1992 dh vuq ph XII ds vuq kj dk; kRed fodhndj.k fd;k x;k g* परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त, राज्य के *u-LFkk-fudk;* को कतिपय नये कार्य सौंपे गये हैं, जैसे— सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु नियोजन, नगरीय नियोजन, गरीबी निवारण तथा नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण सुरक्षा। परन्तु कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ पर्याप्त राशियों एवं कार्मिकों का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप *u-LFkk-fudk;* के अपने कार्यों के पर्याप्त एवं कुशल निष्पादन की क्षमता में रुकावट आई है।

( परिच्छेद 9.4.1, 9.4.2)

15.2.4 *uxjikfyd fuxe vf/kfu; e dh /kkjk 132 rFkk uxjikfydk vf/kfu; e dh /kkjk 127] Øe'k% uxj fuxe , oa u-LFkk-fudk; dks dfri; dj vf/kjkfir djus ds vf/kdkj inku djrh g\$ ftudks ek\$S rkj ij vfuok;Z , oa foodk/khu ea oxhdr fd; k x; k g\$ rFkk ftu ij jkT; I jdkj ds fu; æ .kk/khu dk; bkgg gkrh g\$*

( परिच्छेद 9.5.2 )

15.2.5 यद्यपि 1991 से देश में लागू की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में कम ही प्रभाव हुआ है, परन्तु निकट भविष्य में इसकी गति में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के *u-LFkk-fudk; k\$* को समय से पूर्व अपने आपको अधोसंरचना एवं आधारभूत नगरीय सेवाओं के मामलों में तैयार रखना है, जिससे वे घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित कर सकें। उन्हें अपनी कार्यप्रणाली एवं अपने वित्तीय साधनों में सुधार करना होगा, जिससे वे केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं हाल ही में प्रारंभ किये गये, नगरीय विकास एवं नवीनीकरण कार्यक्रम का लाभ उठा सके।

( परिच्छेद 9.6.1, 9.6.7)

**15.3.0 नगरीय स्थानीय निकाय वित्त की वृहत् समीक्षा :**

15.3.1 *vxys v/; k;* में राज्य के *u-LFkk-fudk; foRr dh ogr- I eh{kk* की गई है, जो *XII0\$* वित्त आयोग द्वारा 1998—99 से 2002—03 की अवधि के लिये प्रदत्त आँकड़ों एवं राज्य सरकार द्वारा *XII0\$* वित्त आयोग को प्रेषित स्मृति-पत्र में दिये गये आँकड़ों पर आधारित है। *bl I eh{kk dk eq; mnns; ;g Kkr djuk g\$ fd jkT; ds u-LFkk-fudk; fdl I hek rd jktdk\$kh; fod\$nhdj.k , oa jktdk\$kh; Lok; Rrk dh vkj c<+ jgs g\$* हमने *jktdk\$kh; fod\$nhdj.k , oa jktdk\$kh; Lok; rRrk* को कई *nf"Vdks k* से देखा है, जैसे— *u-LFkk-fudk;* राजस्व एवं व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार के

राजस्व एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में वृद्धि तथा **u-LFkk-fudk;** राजस्व एवं व्यय, राज्य के **xj&df"k l -jk-?k-m-** के प्रतिशत में। हमने विषय का उसकी समग्रता में परीक्षण करते हुये, **iajk-l LFkkvka** एवं **u-LFkk-fudk; ka** को मिलाकर तथा **u-LFkk-fudk;** के संबंध में पृथक से अध्ययन किया है। **jkt dks"kh; fod"nhdj.k ds eki ds fy; sgeus rhu vuq krka dk ix.ku fd; k gS** (i) **0; ; fod"nhdj.k vuq kr**, जो कुल राज्य सरकार के व्यय में कुल स्थानीय व्यय का प्रतिशत है, **ftl ea 1998&99 l s 2002&03 ds chp fxjkoV gpa** (ii) **jktLo fod"nhdj.k vuq kr**, जो राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में स्थानीय निकायों के कुल कर राजस्व का प्रतिशत है। **bl vuq kr ds Hkh ?kVus dh idfr ikbz xbA** (iii) **jkt dks"kh; Lok; rrk vuq kr**, जो स्थानीय निकायों के कुल राजस्व व्यय में स्थानीय निकायों के कुल राजस्व, कर एवं गैर-कर का प्रतिशत है। **v/; ; u vof/k ea bl vuq kr ea Hkh deh gpa**

( परिच्छेद 10.1.1, 10.3.1, 10.4.1, 10.5.2, सारणी क्र 10.5)

15.3.2 इस तथ्य को देखते हुये, कि राज्य की नगरीय अर्थव्यवस्था स.रा.घ.उ. में 60% से अधिक योगदान करती है, यह ध्यान देने योग्य है, कि **u-LFkk-fudk;** की **dy ikflr; k** 1998-99 में **xj&df"k l -jk-?k-m-** का केवल 1.05% थी, जो 2002-03 में बढ़कर 1.34% हो गई। उनके **dy 0; ;** का, **xj&df"k l -jk-?k-m- l s ifr'kr**, **dy jktLo** से कम रहा है, जो इस बात का द्योतक है, कि वे अपने स्वयं के साधनों से जुटायी गयी एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त राशि को व्यय नहीं कर सके। **vi; lr uxjh; v/kd jpuk , oa l okvka ds jgrs vfrj d ctV vkSpr; iwKz ugha dgs tk l drA**

( परिच्छेद 10.8.5, सारणी क्र 10.3)

15.3.3 **u-LFkk-fudk;** वित्त की हमारी समीक्षा से स्पष्ट हुआ, कि तीनों वर्गों के **u-LFkk-fudk; k** में समय के साथ-साथ **dy jktLo ea Lo; a ds dj jktLo dk vdk de gqk g vfk/d fprk dk fo"k; ; g g\$ fd jkT; ds u-LFkk-fudk;** अपने **jktLo 0; ; dk foRr ik\$'k.k] vi us Lo; a ds l k/kuka l s ?kVrs gq s vuq kr ea dj jgs g** इसके परिणामस्वरूप राज्य की **u-LFkk-fudk;** की राज्य सरकार के **gLrkaj.kka ij fuHkjr k ea of) gpl g\$** जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को धक्का लगा है। यह संविधान संशोधन की मंशा के भी विरुद्ध है। चिन्ता का एक अन्य विषय यह है, कि तीनों वर्गों के **u-LFkk-fudk; k** में कुल प्राप्तियाँ, जिनमें स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ, बाहरी स्रोतों से हस्तांतरण एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं, उनके कुल व्यय से अधिक रही हैं। नगरीय सेवाओं की असंतोषजनक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई औचित्य नहीं है।

( परिच्छेद 9.13.2 (i) (iii) (iv) (viii))

15.3.4 अपने **Lo; a ds dj , oa xj&dj** दोनों साधनों को मिलाकर **u-LFkk-fudk; k** की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिये उत्तरदायी संभावित कारक हैं, संकीर्ण कर-आधार तथा कम लोचदार एवं कम उत्पादक कर, सेवाओं के लिये न्यून उपभोक्ता मूल्य, अधिक प्रशासकीय एवं स्थापना व्यय, अपने स्वयं के साधन जुटाने के लिये **u-LFkk-fudk;** द्वारा किये गये अपर्याप्त प्रयास। बड़े पैमाने पर कर चोरी, राजस्व वसूली में ढील तथा वर्तमान एवं संभावित दोनों करदाताओं की कर अधिरोपणकर्ता सरकार से निकटता।

( परिच्छेद 10.15.1 )

15.4.0 **नगरीय स्थानीय निकाय को सहायता अनुदान :**

15.4.1 **vxys v/; k;** में **u-LFkk-fudk;** को **l gk; rk vuqku , oa gLrkaj.kka** की चर्चा की गई है। इसमें हमने संक्षेप में सहायता अनुदान के उचित सिद्धांत,

अनुदानों के उद्देश्य, *u-LFkk-fudk; foRr ea vuqkuka dh Hkfedk rFk NRrh x<+ea l gk; rk vuqkuka ds izdkj , oa izkkyh* की समीक्षा की है। 1998-99 में *jkt; ljdkj l s u-LFkk-fudk; dks gkus okys dy gLrkj.kj muds dy jktLo* के 33.4% थे, जो बढ़कर 2002-03 में 57.23% हो गये। वर्ष 2002-03 में यह प्रतिशत *uxj ikfydk ifj'kn* में सर्वाधिक (57.58%) तथा उसके अगले क्रम में *uxj ikfyd fuxe* में 57.52% तथा *uxj ipk; rk* में 53.81% था। राज्य सरकार के *dy gLrkj.kk* में 2001-02 में *uxj ikfyd fuxe* में 87.91% कतिपय करों की समाप्ति की क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में थे, जो बढ़कर 2003-04 में 92.45% हो गये तथा इसी अवधि में *uxj ikfydk ifj'kn* में 84.64% से बढ़कर 86.95% एवं *uxj ipk; rk* में 74.16% से घटकर 73.63% रह गये। राज्य सरकार द्वारा किये सहायता अनुदान एवं अन्य हस्तांतरण *u-LFkk-fudk;* को अपने स्वयं के साधन जुटाने की दिशा में प्रेरित नहीं कर सके हैं। इसके विपरीत इनसे बाहरी स्रोतों पर उनकी निर्भरता में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप उनकी स्वायत्तता में कमी हुई है।

( परिच्छेद 11.6.1, 11.9.2, सारणी क्र. 11.1)

### 15.5.0 नगरीय स्थानीय निकाय वित्त की सूक्ष्म स्तरीय समीक्षा :

15.5.1 *vxys v/; k;* में आयोग ने सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण अपनाते हुये, राज्य के *u-LFkk-fudk;* के वित्त का मूल्यांकन किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उनकी वित्तीय सुदृढ़ता एवं कमजोरी का पता लगाना तथा उनकी भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करना था। *v/; ; u jkfo-vk }kjk jkt; dh U; kn'khz u-LFkk-fudk; l s 1999&2000 l s 2003&04 dh vof/k ds fy; s l jfpr iz'kuoyh dsek/; e l s , df=r fd; s x; s vkdMka ij vk/kfjr g* अध्ययन में सभी 10 *uxj ikfyd fuxe* 28 में से 20 *uxj ikfydk ifj'kn* तथा 72 में से 20 *uxj ipk; r* शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 45.

45% *u-LFkk-fudk*; तथा उनकी *dy tul q; k* का 82.56% शामिल है, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये पर्याप्त है। अध्ययन में *uxj ipk; rka* की संख्या इसलिये कम है, कि इनके द्वारा भरी गयी प्रश्नावलियों में से अनेक को अपूर्ण अथवा गलत होने के कारण निरस्त करना पड़ा। *v/; ; u ea geus rhuka oxkz ds u-LFkk-fudk; ka ds fy; s i Fkd&i Fkd Lo; a ds dj , oa xj&dj jktLo rFkk dy jktLo ikflr; kj mudh vkRe&fulkjrk dk Lrj] dj I jpkj jkT; , oa dhnz I jdkj I s gLrkaj.k] ifr 0; fDr dj , oa xj&dj jktLo] fofHku uxjh; I okvka ij ifr 0; fDr 0; ; ] u-LFkk-fudk; 0; ; dk fofHku dk; ka dks vkca/u rFkk iR; d oxz dh u-LFkk-fudk; dh I exz forrh; fLFkfr dk eif; kadu fd; k gA*

( परिच्छेद 12.1.2, सारणी क. 12.1)

15.5.2 अध्ययन से निम्नानुसार महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं –

- (i) *I Hkh oxkz ds u-LFkk-fudk; ds dy Lo; a ds I k/kuka ea fxjkoV gPZ gS* जिसका प्रमुख कारण उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों में, उनके *Lo; a ds dj jktLo* के अंश में अत्यधिक गिरावट है।
- (ii) *dy jktLo ds ifr'kr ds : i ea xj&dj jktLo* में, *uxj ikfyd fuxe , oa uxj ipk; rka* के मामलों में कमी हुई है, परन्तु *uxj ikfydk ifj'kn* में वृद्धि।
- (iii) *u-LFkk-fudk; dh ckgjh I krka ij fullkjrk ea of)]* विशेषकर *jkT; I jdkj ds gLrkaj.kka i jA*
- (iv) *jkT; I jdkj ds dy gLrkaj.kka* में वर्ष 1999–2000 में सहायता अनुदानों का अंश काफी कम है; अधिकांश हस्तांतरण कतिपय करों की समाप्ति के एवज में क्षतिपूर्ति तथा सौंपे गये राजस्व के रूप में हैं, जबकि 2003–04 में इसके विपरीत (*uxj ikfyd fuxe* को छोड़कर)

- (v) *u-LFkk-fudk; k* की *dj l jpk* में विविधता के कोई संकेत नहीं है तथा उसमें केवल कुछ *vfuk; l djka* का ही प्रभुत्व है।
- (vi) *dj jktLo* की वृद्धि दर कम रही है, जिसके प्रमुख कारण हैं— कमजोर कर आधार, अनेक करों में लम्बे समय से उनकी दरों में परिवर्तन का अभाव, कर वसूली में ढिलाई, बड़े पैमाने पर कर चोरी तथा कर संरचना में विविधता लाने एवं अधिक साधन जुटाने के प्रयासों में कमी।
- (vii) अधिकांश *u-LFkk-fudk; k* के द्वारा राजस्व के *xj&dj l ksk* का अनुकूलतम स्तर तक दोहन नहीं किया गया है।
- (viii) *dy 0; ; ds ifr'kr ds : i ea jktLo 0; ;* में, *uxj ikfyd fuxeka* के मामलों में वृद्धि (वर्ष 2003-04 को छोड़कर), परन्तु *uxj ikfydk ifj'kn*-एवं *uxj ipk; rka* में गिरावट हुई है।
- (ix) *uxj ikfydk ifj'kn*-एवं *uxj ipk; rka* में *dy 0; ; ea i pthx 0; ; ds ifr'kr* में वृद्धि हुई है, परन्तु *uxj ikfyd fuxeka* में ऐसा नहीं हुआ है।
- (x) *jktLo 0; ;* में काफी उतार-चढ़ाव रहे हैं तथा कभी-कभी अचानक वृद्धि/कमी एवं नकारात्मक वृद्धि हुई है, इसके संभावित कारण हैं— व्यय का दोषपूर्ण नियोजन एवं प्रबंधन, राजस्व प्राप्तियों में स्थिरता का अभाव तथा विभिन्न मदों के व्यय आबंटनों में स्थानीय दबाव।

( परिच्छेद 12.19.1 (ii से viii), 12.20.7, 12.20.2)

15.5.3 *,d vl; fprktud ifj.kke ;g iklr gvkj fd tgk; uxj ikfyd fuxeka* में अध्ययन के 5 में से 3 वर्षों में *jktLo vfrjcl* तथा 5 में से 3 वर्षों में *l esdr forrh; fLFkr ea ?kkVs* हुये, वहीं *u-LFkk-fudk; k* के *vl; nks oxkz* ने *jktLo ,oa l esdr nkska ea vfrjcl n'kkz s g\$ ftl dk fufgrkfkz g\$ fd u-LFkk-fudk; v/klj jpk ,oa enytkur l okvka dh*



'kkpuh; fLFkfr gkrs gq s Hkh os l eLr miyC/k l k/kuka dk mi ;ksx  
ugha dj l dA

( परिच्छेद 12.24.2, 12.24.3, सारणी क्र. 12.28)

15.6.0 राजस्व अंतराल का आकलन एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिये  
राजकोषीय पैकेज का निर्धारण :

15.6.1 vxys v/;k; 1/3½ में jktLo vrjky ds vkdyu rFkk jkt dks kh;  
i d st ds fu/kkZ.k dk izkl किया गया है। iFker% हमने 3 o"kkZ  
2001&02 l s 2003&04 ds vkj r के रूप में, okLrfod jktLo vrjky  
प्रगणित किया है। jktLo vrjky dks jktLo 0; ; dhj Lo; a dh jktLo  
ikflr; ka %dj ,oa xj&dj nkukZ ij vf/kdrk ds : i ea ifjHkkf"kr  
fd;k tk l drk gA न्यादर्शी u-LFkk-fudk; ka के लिये okLrfod jktLo  
vrjky रूपये 142.90 करोड़ आकलित है, जिसका संपूर्ण राज्य के लिये प्रक्षेपण  
करने पर रूपये 163.40 करोड़ प्राप्त होता है, जो 3 वर्ष की अवधि का औसत  
है। सभी u-LFkk-fudk; ka को मिलाकर उनके Lo; a ds l k/kuj muds jktLo  
0; ; के 29.70% थे। हमने राजस्व अंतराल के आकलन के लिये एक वैकल्पिक  
दृष्टिकोण का सुझाव दिया है, जिससे राजस्व अंतराल काफी कम हो जाता है।

( परिच्छेद 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.8.1, 13.8.2)

15.6.2 भविष्य की आवश्यकताओं एवं साधनों का आकलन करने के लिये वास्तविक  
राजस्व अंतराल जानना संभव न होने के कारण, geus 2005&06 l s 2009&10  
dh vof/k ds fy; s vkn'kd vk/kkj ij l Hkkfor jktLo vrjky dk  
vkdyu fd;k gA इसके लिये हमने मोटे तौर पर XII 09 वित्त आयोग द्वारा  
सुझाई सरल कार्यविधि का उपयोग किया है। हमने तीनों वर्गों के u-LFkk-fudk;  
में से प्रत्येक वर्ग की , dh 3 mRre u-LFkk-fudk; ka ds ifr 0; fDr jktLo  
,oa ifr 0; fDr 0; ; dks ifreku ekuk g\$ tks bl n"V l s vius&vius

oxl ea l okRd"V gR rFkk ftI l hek ds ifr 0; fDr jktLo , oa 0; ;  
 ij oxl ds vU; l Hkh u-LFkk-fudk; dks igppuk gR fufgr fopkj ; g  
 g\$ fd tc , d oxl ds dN u-LFkk-fudk; ifr 0; fDr jktLo , oa 0; ;  
 ds mPp Lrj rd igpp x; s g\$ rks vU; u-LFkk-fudk; ogk; rd D; ka  
 ugla igpp l dr} पिछले 3 वर्षों के राजस्व एवं व्यय की औसत वृद्धि दरों को  
 राजस्व एवं व्यय की उचित वृद्धिदर माना गया है। हमने 2005-06 से 2009-10  
 की अवधि के लिये **iR; d oxl dh U; kn'khZ u-LFkk-fudk;** के लिये  
 पृथक-पृथक संभावित अंतराल का पूर्वानुमान किया है। तीनों प्रकार के **u-LFkk-  
 fudk;** का समेकित संभावित राजस्व अंतराल वर्ष 2005-06 में रुपये 174.84  
 करोड़ आता है, जो बढ़कर 2009-10 में रुपये 378.48 करोड़ होने की संभावना  
 है। न्यादर्शी **u-LFkk-fudk;** के आँकड़ों को प्रक्षेपित करने पर हमें 2005-06 के  
 लिये रुपये 210.78 करोड़ एवं 2009-10 के लिये रुपये 451.02 करोड़ का  
 संभावित राजस्व अंतराल प्राप्त होता है। अधिक एवं बढ़ते हुये संभावित राजस्व  
 अंतराल मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है, कि बढ़ते हुये राजस्व व्यय का  
 वित्त पोषण, राज्य सरकार के बढ़ते हुये हस्तांतरणों, विशेषतया क्षतिपूर्ति एवं सौंपे  
 गये राजस्व के रूप में से किया गया है।

( परिच्छेद 12.4.0, 12.5.0, 13.6.3, 13.7.1)

15.6.3 हमारे द्वारा अनुशासित राजकोषीय पैकेज से संपूर्ण राजस्व अंतराल को नहीं भरा  
 जा सकता, क्योंकि उसका आकार निरंतर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य  
 वित्त आयोग की यह मंशा भी नहीं रही है, कि संपूर्ण राजस्व अंतराल को पाटा  
 जाय। **gekjs }kjk vuqkAl r jkt dks'kh; i dSt ea vud ?kVd 'kkfey  
 gR jkT; l jdkj ds dj jktLo ds , d vAk dk LFkkuh; fudk; ka dks  
 varj.kj l gk; rk vupku , oa vU; gLrkrj.kj tks {kfr i firZ , oa l kR s  
 x; s jktLo ds : i ea gksxA** इस संबंध में हमारा **i Fke dk; Z Fkk** राज्य  
 सरकार के **Lo; a ds dj jktLo ea LFkkuh; fudk; ka dk fgLI k fu/kkijr**

*djuk] tks folkkutuh; dksk ds vkdkj dk vkdyu miyC/k dj; skA*  
 अनेक कारकों जैसे— राजस्व अंतराल का आकार, स्थानीय निकायों की स्वयं के  
 साधन जुटाने की क्षमता, उनकी समेकित वित्तीय स्थिति तथा राज्य सरकार के  
 राजकोषीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये, *geus vuqkd k dh g\$ fd jkT;*  
*l jdkj ds Lo; a ds 'kq) dj jktLo dk 8-287% LFkkuh; fudk; ka dks*  
*vkcfVr fd;k tk; rFkk bl dk forj.k iajkl LFkkvka ,oa u-LFkk-*  
*fudk; ka ea 2001 dh tux.kuk vuq kj] jkT; dh dgy tul q; k ea*  
*mudh tul q; k ds vuqkr eafd;k tk; A x.kuk djus ij ; g fgLI k*  
*vf/kfu.kz vof/k ds fy; s iajkl LFkkvka ds fy; s 6-628% rFkk u-LFkk-*  
*fudk; ka ds fy; s 1-659% vkrk gM विभिन्न u-LFkk-fudk; के बीच वितरण*  
 हेतु हमने निम्नलिखित मानदण्डों की अनुशंसा की है— (i) *tul q; k* जिसका  
 भार 80% होगा, (ii) *u-LFkk-fudk; dk {ks=Qy* 10% तथा (iii) *u-LFkk-*  
*fudk; dh xnh cLrh tul q; k* 10%। कर हिस्सेदारी के अतिरिक्त, *geus*  
*: i; s 16 djkm+ ds l keW; mnns'kh; vuqkuka dh vuqkd k dh g\$*  
*ftl es vf/kfu.kz vof/k ea ifro"lz : i; s 1 djkm+ dh of) gksxhA u-*  
*LFkk-fudk; ea bl ds vka'u dk ekun.M* होगा, *tul q; k*—भार 10%,  
*jkTLo iz kl* भार 40% तथा *l koZtfud LokLF; ,oa l fo/kk* पर किये  
 जाने वाले सर्वाधिक *ifr 0; fDr 0; ; l s nyh* भार 50%। कर प्रयास का  
 आकलन *jkTLo 0; ; ea Lo; a ds jkTLo ds vuqkr* के आधार पर होगा  
 तथा प्रति व्यक्ति अनुदान इस अनुपात के साथ—साथ बढ़ता जायेगा। विभिन्न *u-*  
*LFkk-fudk;* के बीच आपसी वितरण के लिये आयोग ने 3 कारकों को  
 ध्यान में लिया है — *vko'; drk; j jkTLo iz kl ,oa l ke; rk A*

(पैरा 13.12.6, 13.11.8, 13.11.10, 13.11.12, 13.12.1, 13.12.2)

15.6.4 आयोग कतिपय करों के एवज की क्षतिपूर्ति तथा सौंपे गये राजस्व के रूप में राज्य सरकार के द्वारा किये जाने वाले हस्तांतरणों में 15% वार्षिक की वृद्धि की

अनुशांसा करता है एवं चुँगी क्षतिपूर्ति में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की राशि में प्रवे श कर में वृद्धि दर के आधार पर वृद्धि की जाय।

( परिच्छेद 13.12.5 )

15.6.5 संभावना है, कि हमारे द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पैकेज राज्य के **u-LFkk-fudk;** के संभावित राजस्व अंतराल के लगभग 80% भाग की प्रतिपूर्ति कर सकेगा। यह एक अनुमान है, जो कई मान्यताओं पर आधारित है। **i d st dk jkT; ds ctV ij vf/kd Hkkj ugha gksuk pfg; } gekjk vuøku g\$ fd ;g 2005&06 ea i d k fir Lo; a ds jktLo dk 4-55% rFkk de gkdj 2009&10 ea 3-64% gkska**

( परिच्छेद 13.12.10, सारणी क्र. 12.9)

15.7.0 राजकोषीय पैकेज से आगे :

15.7.1 **u-LFkk-fudk;** की वित्तीय समस्याओं का पूर्ण समाधान केवल राजकोषीय उपायों एवं राजकोषीय पैकेज से नहीं हो सकता। इसके साथ कुछ अन्य सुधारों की भी आवश्यकता है, जिन्हें हमने **~jkt dkskh; i d ts l s vlxs** में समाहित किया है। **;s mik; i d k l dh; ] l d Fkkxr] i d k dh; ] rduhdh , oa jktu\$rd gks l drs g\$ ftudk mnns; u-LFkk-fudk; dh vkrfjd 'kDr] l gu {kerk , oa {kerk vka ea of) djuk g\$ tks mlga Lo'kkl u dh thou{ke bdkb; k; cukus ds fy; s vR; Ur vko'; d g\$** वास्तव में राजकोषीय पैकेज से आगे के उपायों से राजकोषीय पैकेज की प्रभावशीलता बढ़ेगी तथा स्थानीय निकायों के कार्यात्मक एवं राजकोषीय निष्पादन में सुधार होगा।

( परिच्छेद 14.1.2, 14.1.3)

15.7.2 **jkt dkskh; i dlt l s vlxs ea vud l qkj 'kfey fd; s x; s gñ tks fuEukuñ kj gñ&**

- (i) नगरीय सेवाओं की प्रशासकीय संरचना एवं प्रबंधन में सुधार,
- (ii) संस्थागत संरचना में सुधार, विशेषकर राज्य-स्थानीय संबंधों में,
- (iii) बजट, लेखा एवं अंकेक्षण प्रक्रिया में सुधार,
- (iv) न.स्था.निकायों के लिये डाटा-आधार तैयार करना,
- (v) नगरीय नियोजन एवं प्रबंधन,
- (vi) न.स्था.निकाय गतिविधियों एवं प्रपत्रों का कम्प्यूटरीकरण,
- (vii) कर संरचना एवं गैर-कर संरचना में सुधार,
- (viii) सार्वजनिक निजी-साझेदारी की संभावना तलाशना,
- (ix) कतिपय नगरीय सेवाओं का निजीकरण एवं
- (x) राजनैतिक व्यवस्था में सुधार।

( परिच्छेद 14.2.1 )

15.7.3 यद्यपि केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय वित्त आयोग ने **~jkt dkskh; i dlt l s vlxs<sup>m</sup>** के कतिपय मामलों में पहल की है, राज्य स्तर पर अभी ऐसे सुधारों के महत्व को समझना शेष है। आयोग अनुशंसा करता है, कि राजकोषीय पैकेज के साथ-साथ राजकोषीय पैकेज की प्रभावशीलता एवं अपने कार्यात्मक निष्पादन में वृद्धि के हित में, राज्य सरकार उपर्युक्त दिशाओं में नगरीय सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करें। वर्तमान में इस दिशा में होने वाली प्रगति धीमी एवं मंद है।

( परिच्छेद 14.2.2 )

15.7.4 आयोग अनुशंसा करता है, कि प्रारंभिक रूप में सभी **uxj ikfyd fuxe** एवं बड़े **u-LFkk-fudk; ]** जिनकी जनसंख्या 50,000 या इससे अधिक है, विभिन्न दिशाओं में इन सुधारों को लागू करने के लिये **jkM&eñ rFkk dk; l ; kst uk**

तैयार करें। *jkT; Ijdkj ekxh'ku] foRrh; ,oa iz'kkl dh; I gk; rk rFkk iHkkoh ekuhVfjx ds ek/;e I s bu I qkjk dks ykxw djus ea egROIwz Hkfedk fuHkk I drh g* इन सुधारों का एक अतिरिक्त लाभ यह होगा, कि *u-LFkk-fudk;* केन्द्र सरकार से, हाल ही में प्रारंभ की गयी *^tokgyky us: jk"Vh; uohudj.k dk;De^* नाम की परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र हो सकते हैं।

( परिच्छेद 14.15.2, 14.15.3)